

झारखण्ड सरकार
जल संसाधन विभाग

का. आ. सं.- 8/ज०स०(नि०) बाह्य 09-07/14

राँची, दिनांक -

आदेश

श्री अमरनाथ सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमण्डल, गिरिडीह (सम्प्रति सेवा निवृत्त) के विरुद्ध उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी, गिरिडीह के पत्रांक 995 दिनांक-27.07.14 द्वारा जमुआ प्रखण्ड अन्तर्गत बीज गुणन कृषि प्रक्षेत्र, रेम्बा में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना स्ट्रीम- II के तहत विभिन्न योजना मद यथा-(i) Fencing कार्य (प्राक्कलित राशि- 17,09,800.00 रु०) (ii) Seed Storage cum choudidar Room (प्राक्कलित राशि- 5,08,000.00 रु०) (iii) Godown (प्राक्कलित राशि- 9,55,200.00 रु०) (iv) Threshing Floor (प्राक्कलित राशि- 1,18,200.00 रु०) (v) Crop Shed (प्राक्कलित राशि- 4,05,00.00 रु०) (vi) Agriculture Implement shed (प्राक्कलित राशि- 4,71,900.00 रु०) (vii) Hard Surface Road (प्राक्कलित राशि- 3,44,300.00 रु०) (viii) Water Harvesting Tank (प्राक्कलित राशि- 09,75,800.00 रु०) के कार्यान्वित कार्यों में अनियमितता के लिए प्रपत्र 'क' में आरोप गठित कर उपलब्ध कराया गया।

2. उक्त प्रतिवेदित आरोप के लिए झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम- 43B के तहत श्री अमरनाथ सिंह के विरुद्ध विभागीय संकल्प झापांक- 1300 दिनांक- 13.05.15 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया।

3. श्री सिंह के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन में श्री अमरनाथ सिंह को उनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप के लिए दोषी पाया गया।

4. संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित विभागीय कार्यवाही से संबंधित जाँच प्रतिवेदन की समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई एवं सम्यक समीक्षोपरांत प्रमाणित आरोप के लिए श्री सिंह के विरुद्ध पेंशन से 15% की कटौती पाँच वर्षों के लिए दण्ड प्रस्तावित करते हुए द्वितीय कारण पृच्छा की गई।

5. श्री सिंह से प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब की समीक्षा विभाग स्तर पर की गई एवं पाया गया कि श्री अमरनाथ सिंह द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य एवं तथ्य के अतिरिक्त कोई नया तथ्य अथवा साक्ष्य अपने बचाव में प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिसके आधार पर प्रस्तावित दण्ड पर पुर्नविचार किया जा सके।

6. अतः सम्यक समीक्षोपरांत श्री सिंह द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा के जवाब को अस्वीकृत करते हुए प्रमाणित आरोपों के लिए उन्हें निम्न दण्ड संसूचित करने का निर्णय लिया जाता है :-

श्री अमरनाथ सिंह के पेंशन राशि से 15% की कटौती पाँच वर्षों के लिए।

7. उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक -8/ज०स०(नि०) बाह्य 09-07/14

राँची,दिनांक -

प्रतिलिपि -महालेखाकार, झारखण्ड राँची/महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक -8/ज०स०(नि०) बाह्य 09-07/14 4861

राँची,दिनांक - 04-10-16

प्रतिलिपि -संयुक्त सचिव, कृषि एवं गन्ना विकास विभाग के पत्रांक-2700 दिनांक 11.09.14 के क्रम में/संयुक्त सचिव (प्र०) जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन पटना बिहार/वेब मैनेजर/श्री अमरनाथ सिंह, सेवानिवृत्त अधीक्षण अभियंता B,12 पल्लवी कॉपरेटिव, बाजार समिति के पूर्व संबलपुर रोड़, महेन्दु पटना-06 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



(बिन्दु माधव प्रसाद सिंह)

सरकार के संयुक्त सचिव